वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्याः 312 /XVII(2)/2007-09(16)/2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादूनःदिनांक 3 सितम्बर, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अंतर्गत पारित जिला योजना की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती हेतु पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, जनपद अल्मोड़ा व देहरादून की स्थापना (जिला योजना) के अंतर्गत संलग्नक परिशिष्ट के अनुसार कुल रुपये 16,30,000/– (रुपये सोलह लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि अधोवर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
2. उक्त धनराशि को केवल जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
3. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से **अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनागत** शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
4. आवंटित धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमा तक ही किया जाये तथा व्यय की स्थिति से शासन को अवगत कराया जाये।
5. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये।
6. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अंतर्गत समय सारिणी के अनुसार शासन को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
8. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

9. बी०एम०–13 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
11. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:–307(P)/वि.अनु–3/2007 दिनांक 30 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 312 (1)/XVII(2)/2007-09(16)/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढवाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

03090701.for